बैगा

एक विशेष पिछड़ी जनजाति

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

2020

प्राक्कथन

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों में से कुछ निश्चित जनजातीय समुदायों को विशिष्ट मापदण्डों यथा स्थिर या कम होती जनसंख्या, न्यून साक्षरता दर, कृषि की आदिम तकनीक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर देश में 75 जनजातीय समुदायो को विशेष पिछड़ी जनजाति (Particularly Vulnerable Tribal Groups) घोषित किया गया है। जिसमें से बैगा छत्तीसगढ़ राज्य की 05 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक प्रमुख जनजाति है।

बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला– पेण्ड्रा–मारवाही, कोरिया एवं राजनांदगांव जिले में प्रमुखता से निवासरत है। इनमें ओदरिया, ढढिया, करकुटिया, मछिया, घुटिया, देवड़िया आदि प्रमुख गोत्र पाये जाते है। इनके द्वारा बैगानी बोली में परस्पर संवाद किया जाता है।

बैगा जनजाति की अर्थ व्यवस्था मुख्यतः वनोपज संकलन के साथ साथ कृषि, पशुपालन, मजदूरी, मत्स्य आखेट आदि पर आधारित है। इनके प्रमुख देवी–देवता रातमय देवी, नागा बैगा, मरादेव, बहरवास, मसवासी माता, आदि है। लोक परम्परा में रीना,मायरीना, करमा, झुलनीपार, दधरिया, गीतकारिन आदि लोक गीत एवं लोकनृत्य है।

शासन द्वारा इनके समग्र विकास हेतु बैगा विकास अभिकरण एवं प्रकोष्ठ गठित कर विभिन्न विकासमूलक योजनाएं संचालित की जा रही है।

छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों के **''छायांकित अभिलेखीकरण श्रृंखला''** के अन्तर्गत आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा **बैगा जनजाति के जीवनशैली पर आधारित फोटो हैण्डबुक** प्रकाशित की गई है। हम आशा करते है कि, संस्थान के संचालक के मार्गदर्शन में अनुसंधान दल द्वारा तैयार की गई इस पुस्तिका में दर्शित तथ्य राज्य के संबंधित जनजाति समुदाय एवं जनजातीय संस्कृति में रूचि रखने वाले लोगों के लिए लाभप्रद एवं उपयोगी होगी।

शम्मी आबिदी IAS
संचालक
आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

डी.डी.सिंह IAS
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

बैगा

एक विशेष पिछड़ी जनजाति

मार्गदर्शन – **शम्मी आबिदी, संचालक**

प्रस्तुतिकरण – **आनंद सिंह परमार**

सहयोग – **डॉ. अनिल विरूलकर**

अमरदास

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

परिचय

भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 42 जनजातीय समुदायो एवं उसके उपजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्य करते हुए उनमें से 5 अनुसूचित जनजाति समूहो को विशिष्ट लक्षण आधारित मापदण्ड यथा स्थिर या कम होती जनसंख्या, न्यून साक्षरता दर, कृषि की आदिम तकनीक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह घोषित किया गया है। जिसमे से बैगा एक प्रमुख विशेष पिछड़ी जनजाति है।

जनगणना 2011 अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या 89744 है। जिसमें पुरूष जनसंख्या 44847 एवं स्त्री जनसंख्या 44897 है। इनमें स्त्री–पुरूष लिंगानुपात 1001 है। बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति की साक्षरता दर 32.17 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता 40.01 प्रतिशत एवं स्त्री साक्षरता 24.34 प्रतिशत है।

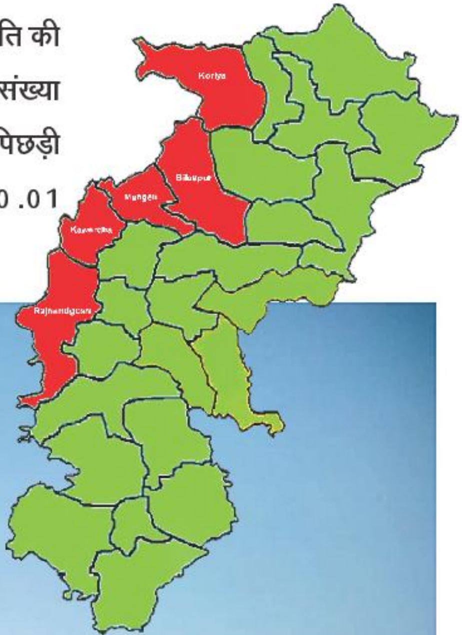

बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य क्षेत्र में निवासरत है। मुख्य रूप से कबीरधाम जिले के बोडला एवं पण्डरिया विकासखण्ड, बिलासपुर जिले के कोटा एवं तखतपुर विकासखण्ड, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिले के गौरेला विकासखण्ड, कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़, खड़गवां एवं भरतपुर विकासखण्ड, राजनांदगांव जिले के छुईखदान विकासखण्ड एवं मुंगेली जिला के लोरमी विकासखण्ड के ग्रामों में निवासरत है। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या कबीरधाम एवं कोरिया जिले में पायी जाती है।

उत्पत्ति

बहुत पहले एक देवता थे जिसका नाम नागा बैगा है, नागा बैगा भगवान शंकर का ही रूप है। नागा बैगा ध्यान लगाये हुए बैठे थे। उस समय संसार में जल ही जल था, थल कहीं भी नहीं था। जल में एक केकड़ा अपने दोनों ''**डाढ़हा**'' के बीच में कुछ मिट्टी दबाये हुए बैठा था, उसी समय वहां एक गिद्ध उड़ते हुए नीचे आया और केकड़ा से टकरा कर वापस उड़ गया। गिद्ध के टकराने से केकड़ा के दाढ़हे में रखी हुई मिट्टी ध्यान लगाये हुए बैठे नागा बैगा के सामने गिर गई। नागा बैगा ने उस मिट्टी को जल में घोलकर फैला दिया। वह मिट्टी जितना स्थान तक फैल गया वह पृथ्वी बन गया। अब इस पृथ्वी पर नागा बैगा ने अपनी तपस्या द्वारा संतान का सृजन किया और उसे कमाने के लिए बैल, कुदाली एवं गैती दिया। इस प्रकार नागा बैगा द्वारा बनाये गये संतान ''**बैगा**'' कहलाते हैं।

ग्राम बसाहट

छत्तीसगढ़ राज्य में बैगा जनजाति वनांचलों में निवासरत है और ये ग्राम के मुख्य बसाहट से दूर एकांत में निवास करना पसंद करते हैं। ग्राम में इनके निवास क्षेत्र को ''**बैगा पारा**'' के नाम से जाना जाता है। जहां इनकी बसाहट एक समूह या गुच्छे या एकाकी रूप में होती है।

इनके आवास के सामने एवं पीछे के खाली जगह को लकड़ी के खम्भे एवं टहनियों के द्वारा घेरा किया जाता है जिसे ''बाड़ी'' कहते हैं। घर के मुख्य कक्ष जिसे ''**बड्डे खोली**'' कहा जाता है इस कमरे का उपयोग बैगा दम्पत्ति अपने सोने के लिए भी उपयोग करती हैं। उसके एक कोने में छोटा सा चबुतरानुमा ''**देवाला**'' (देवी–देवताओं का स्थान) होता हैं। इसके बाहर के स्थान को घेर कर छत बनाया जाता है जिसे ''**परछी**'' (बरामदा) कहते हैं। इस स्थान का उपयोग ''**रांधड़ घर**'' (रसोई घर) एवं खाली समय में उठने–बैठने के लिए किया जाता है।

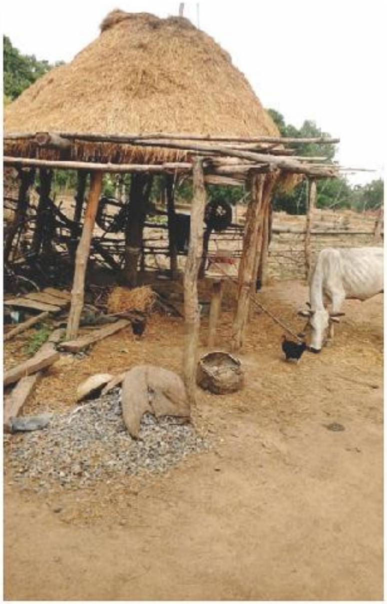

बैगा जनजाति में परम्परागत रूप से **खद्दर घर या बन खद्दर**, **भिठी घर एवं ''लाड़ी'' या ''नान-अक-लाड़ी''** तीन प्रकार के आवास बनाये जाते हैं। कृषि उपयोगी पशुओं बैल, भैस, गाय के लिए घर के बाजू में **कोठा** बनाया जाता है। सुअर पालने वाले परिवार सुअर रखने के लिए पृथक से सुरागुडा का निर्माण करते है तथा मुर्गी रखने के लिए **कुदरी** का उपयोग करते है।

भौतिक संस्कृति

बैगा जनजाति में घरेलु उपयोग की वस्तुओं के अन्तर्गत रांधड़ घर में एक छोटा चबुतरा **पड़हेन्दा** दिखाई देता है जिस पर पानी रखने के लिए पीतल की **कसेड़ी (हवला)**, पानी लाने एवं खाना पकाने के लिए **तबेला**, रोटी पकाने **तवा**, आग पकड़ने में उपयोगी **चिमटी** आदि प्रमुख है। रसोई घर के एक कोने पर मिट्टी निर्मित प्राय: एकमुही चुल्हे की व्यवस्था होती है।

कृषि एवं अन्य अर्थोपार्जन के उपकरण में गैती, रापा फौवड़ा, कुदड़ी, बेंसला, आरा, हसिया, नागर, दतरी, गाड़ी, लकड़ी काटने **टांगी**, मिट्टी फेकने बांस निर्मित **छापी**, प्रमुख है। अनाज संग्रहण हेतु बांस निर्मित खुडरी या ईट मिट्टी के लेप से बनाई गई कोठी या पैरा निर्मित बखरा बनाया जाता है।

शिकार उपकरणों में बड़े जीव–जन्तुओं के शिकार हेतु **धणहु या पनीज धणहु** (धनुष बाण) तथा पक्षी के शिकार हेतु डोरा धणहु, गुलेल तथा मछलियों के शिकार हेतु बांस एवं मोहलाईन रस्सी से निर्मित **कुमनी, चोरिया, झिटका, गड़ा, मोडा, कुरू, तात रस्सी** से निर्मित जाली/फांदा का उपयोग किया जाता है।

विभिन्न प्रकार के वनोपज एवं अनाज मापने हेतु **पैली, बरिहा, कुरैया, काठा पात्र** का उपयोग किया जाता है वहीं अनाज कुटने के लिए **ढेंकी, मूसल** व पिसने के लिए जाता का उपयोग परम्परागत रूप में देखने को मिलता है।

बैगा जनजाति में लोग आज भी अपने परम्परागत वस्त्र धारण किये हुए दिखाई देते हैं। इनके परंपरागत वस्त्र को ''**चौखाना-मुंगी**'' कहा जाता है। श्रृंगार आभूषणों में पुरूषों द्वारा **बीरन माला**, छुटा माला, पैर में पैजना, महिलाओं द्वारा **बेगरा फरिया, फेटा, खोपिया फूंदरा, मूंगा माला, छूटा माला, बीरन माला, बलंगी, छीट, चुड़ा** आदि धारण किये जाते है। इनके वाद्ययंत्रों में मादर, टिमकी, बांसुरी, ठिसकी प्रमुख है।

बैगा जनजाति की महिलाओं की विशिष्ट पहचान उनके माथे पर मध्य मे अंग्रेजी के ''V'' आकृति एवं उसके दोनो ओर चिड़ी के निशान एवं शरीर के विभिन्न अंगो यथा गले के नीचे, बांह, कलाई, पैर में **चिड़ी, मछली के कांटे** के आकार की आकृति के गोदने प्रमुख है। मान्यता है कि शरीर के गोदने मृत्यु उपरांत भी उनके साथ जाते है।

इसी प्रकार पुरूषों के केशों की जुड़े के रूप मे विशिष्ट बनावट लिये होती है जो कि बैगा पुरूषों की एक विशिष्ट पहचान है।

सामाजिक संरचना

बैगा जनजाति बर्हिविवाही गोत्र व्यवस्था वाला समुदाय है। इनमें ढढिया, ओदरिया, करकुटिया, नगबसिया, पड़िया, मछिया, अतढुरिया, घुटिया, देवड़िया, मोहगिया, घंघड़िया, वरिया, सड़िया, चिढुरिया, मुसड़िया, घुटिया, रठूलिया, मंचगईया, आदि प्रमुख गोत्र है। इनके गोत्र टोटेमिक होते है। इनमें रक्त संबंधी एवं विवाह संबंधी नातेदारी पायी जाती है तथा परिहार एवं परिहास संबंधों का पालन किया जाता है। विशिष्ट परिस्थितियों में परिवार के सदस्य एक दूसरे से संवाद हेतु माध्यमिक संबोधन का उपयोग करते है। बैगा जनजाति के परिवार पितृवंशीय एवं पितृसत्तात्मक व्यवस्था के होते है इनमें संपत्ति का हस्तांतरण परम्परागत रूप से पिता से पुत्रों की ओर होता है।

जीवन संस्कार :

बैगा जनजाति में जन्म संस्कार छठी, शुद्धिकरण, नामकरण के रूप मे मनाया जाता है। शिशु जन्म के समय प्रसव कराने वाली महिला को गौजी कहा जाता है। इस दिन कोदो, उडद दाल, हल्दी, नमक के साथ बनी **खिचड़ी भात** प्रसुता को खिलाई जाती है। शिशु के नाल को घर के दीवार में मिट्टी से छबाई कर दबा दिया जाता है। सामान्यत: शिशु की नाल झड़ने के बाद या 2–3 माह में छठी संस्कार किया जाता है इस अवधि तक प्रसुता के परिवार को शुद्ध नही माना जाता है। शिशु का नामकरण उसके माता पिता या घर के अन्य बुजुर्ग सदस्यों के द्वारा किया जाता है। प्रसुता को पारम्परिक जड़ी बुटियों से निर्मित काढ़ा पिलाया जाता है जिसे ओखद कहते है।

बैगा जनजाति में विवाह हेतु पहल वर पक्ष द्वारा की जाती है ममेरे फुफेरे विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। विवाह तय हो जाने पर इनमे फलदान की रस्म होती है। जिसमें वर वधू एक दूसरे को **छूटामाला** पहनाते

है। इनमें विवाह कार्य स्वजातीय जानकार व्यक्ति के द्वारा संपन्न कराया जाता है जिसे **दोषी** कहा जाता है। विवाह के दिन वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को वधूमूल्य के रूप में सूकसारी या सूकधन दिया जाता है। विवाह में बैगा युवक युवतियों द्वारा पारम्परिक वेशभूषा में सामूहिक नृत्य एवं गायन किया जाता है।

बैगा जनजाति में शवों को जलाने की प्रथा है किन्तु आकस्मिक मृत्यु दुर्घटना या महामारी से मृत्यु होने पर अथवा बच्चे या अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु होने या किसी गर्भवती महिला की मृत्यु होने पर शव को दफनाया जाता है। इनमे 03–09 दिनों का शोक होता है। शुद्धिकरण संस्कार को **मादी** कहा जाता है।

आर्थिक जीवन

बैगा जनजाति की अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रकार की है जिसमें वनोपज संकलन, आदिम पद्धति की कृषि, पशुपालन, मजदूरी, शिकार पर आधारित है। पूर्व में बैगा जनजाति स्थानांतरित कृषि ''**बेवर कृषि**'' पर जीवनयापन करते थे। वनोपज संकलन के रूप मे **जरीया कांदा, डौडची कांदा, गीट कांदा, बडांद कांदा, बोतरो कांदा, गोदला कांदा, झुरा भाजी, चरोटा भाजी, अमटा भाजी** का उपयोग स्वयं उपभोग हेतु किया जाता है।

अर्थोपार्जन की दृष्टि से महुआ एवं तेंदुपत्ता का संकलन कर स्थानीय हाट बाजार या अन्य विक्रय केन्द्रों में नगद विक्रय या वस्तु विनिमय कर दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते है।

कृषि उत्पादों में इनके द्वारा कोदो, कुटकी, मोटे प्रकार का धान, लोडा (मक्का), राहर दाल, झुझरू, पेज बनाने हेतु सलहार, सिकिया, कांग, मडिया, सावा, जुआर (ज्वार) आदि का उत्पादन पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। इन सब के अतिरिक्त समय समय पर शिकार, मत्स्याखेट व मजदूरी कार्य भी संपादित किये जाते है।

धार्मिक जीवन

बैगा जनजाति अपने विभिन्न तीज–त्यौहार, जीवन–संस्कार (जन्म, विवाह, मृत्यु) या किसी भी शुभ कार्य आदि की शुरूवात अपने कुल देवी–देवता एवं पूर्वज देवी–देवताओं की परम्परागत रूप से पूजा–पाठ करने के पश्चात करते हैं। रात मय देवी, आजा दाई - पूरखा नाती, ''नागा बईगा - नागा बईगिनी'', ''आजा दादी-पूरखा नाती'', ''दूल्हा देव-दुल्ही देवी'', ''मसवासी माता'', ''मरा देव'' सवरा मरा देव, बांधारी मरा देव, ''राजा नारायण देव'', ''खुट पाट'', ''चरवाहा - चरवाहिन'', ''काड़ी चरोखर'' एवं ''बहरवास'' आदि प्रमुख देवी–देवताओं के नाम है।

इनमें रसोई घर, मुख्य घर, घर के दरवाजा, पशुघर में देवी देवताओं का वास माना जाता है। मान्यता है कि बैगा जनजाति के लोगों को तंत्र मंत्र एवं जादुई शक्ति का ज्ञान परम्परागत रूप से प्राप्त है जिसके द्वारा वे देवी–देवताओं को मनाने एवं भूत–प्रेत, मशान, चुड़ैल आदि उतारने का काम करते हैं। साथ ही कुछ जड़ी – बूटी देकर लोगों की बीमारी दूर करते हैं। उक्त के अलावा बैगा जनजाति के लोग ''डीह बैठाने'' (नया गाव बसाने) एवं महामारी आदि के प्रकोप से गांव वालों को बचाने के लिए मंत्र पाठ द्वारा गांव को बांधने का कार्य भी करते हैं।

बैगा जनजाति मे अक्ती में **बीजबोनी** त्यौहार, आषाढ़ माह मे **हरेली**, भादो माह मे **बाल बांधन एवं देवली**, कुंवार माह मे **नवाखाई**, कार्तिक माह में **देवाड़ी**, माघ माह में **छेरता**, फागुन मास मे फागुन त्यौहार रंगबिरंगी परिधानों एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।

परम्परागत न्याय व्यवस्था

बैगा जनजाति में परम्परागत न्याय व्यवस्था के साथ आधुनिक न्याय व्यवस्था का समावेश है। किन्तु स्वजातीय लोगों में विवाद या अप्रिय घटना के होने पर सामाजिक न्याय व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है। बैगा जनजाति में सामाजिक स्तर पर पंचायत प्रमुख को **पटेल** कहा जाता है।

ग्राम **पंचायत** स्तर पर उत्पन्न हुई समस्याओं का निदान ग्राम पटेल के माध्यम से किया जाता है। ग्राम पटेल का पद वंशानुगत होता है। यदि वंशानुगत सदस्य न हो तो परिवार का कोई योग्य सदस्य पटेल या राजा बनता है। चूंकि बैगा जनजाति में जाति पंचायत में महिलाओं की भागीदारी नही होती है।

परम्परागत बैगा जाति पंचायत मे अंतर्जातीय विवाह प्रकरण, सामाजिक नियमावली से संबंधित निषेधों के उल्लंघन, तीज त्यौहारों के तिथि निर्धारण, आपसी लड़ाई झगड़े, चोरी आदि प्रकरणों का निपटारा किया जाता है तथा मामले ग्राम स्तरीय जाति पंचायतो में निराकरण न होने की स्थिति में परगना अथवा जिला स्तर पर गठित जाति पंचायत मे ले जाया जाता है। परम्परागत जाति पंचायत व्यवस्था में समाज अथवा पंचो को भोज देना, नगद मूल्य देना अथवा जाति से बहिष्कृत किये जाने संबंधी दण्ड प्रावधान प्रचलित है।

लोक परम्परा

बैगा जनजाति अपनी विशिष्ट लोकगीत एवं लोकनृत्य के लिए जानी जाती है। प्रायः सभी त्यौहर, जन्म , विवाह एवं अन्य उत्सव आदि के अवसरों पर गीत गाते हुए

नृत्य किया जाता है।

बैगा जनजाति द्वारा लोकगीत एवं लोकनृत्य गाने एवं नृत्य की तैयारी व अभ्यास सावन माह में मनाये जाने वाले **हरेली** त्यौहार के दिन से शुरूवात करते है जो **दशरेली नाच** तक चलता हैं । बैगा जनजाति मे दशरेली नाच का विशेष महत्व है। यह नाच दशहरे के समय एक माह तक किया जाता है जिसमें एक गांव के लड़के या लड़कियां समूह में दूसरे गांव जाकर नृत्य करते है। बैगा जनजाति में प्रचलित **रीना, माय रीना, करमा, झपेटा करमा, झुलनीपार, झरपट, ढोल नाचना, दधरिया एवं गीतकारिन गीत** आदि लोकगीत एवं लोकनृत्य प्रमुख है।

बैगा जनजाति में विभिन्न उत्सवो एवं त्यौहारों में **ढोलक**, **मांदर**, **ठिसकी**, **बांसुरी** आदि की थाप के साथ मनमोहक नृत्य किये जाते है।

विकास एवं परिवर्तन

बैगा जनजाति के ग्रामो मे शासन द्वारा सामुदायिक विकास, शैक्षणिक विकास, अद्योसंरचनात्मक विकास, परिवार अथवा समुदाय मूलक योजनाओं से संबंधित संचालित योजनाओं का प्रभाव परिलक्षित होता है।

ग्रामों में सिंचाई हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण, पेयजल हेतु हैण्डपंप, नल, लैम्प्स, सिंचाई पंप, सौर उर्जा के पंप, पक्की सड़कें, पंचायत भवन, शिक्षा परिसर, हाट–बाजार की व्यवस्था, आदि दिखाई देती है। उपरोक्त सभी प्रयासों से धीरे–धीरे राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा भी विकास की ओर अग्रसर है।

छत्तीसगढ़ की जनजातियों के ''छायांकित अभिलेखीकरण श्रृंखला'' क्र. 03 बैगा

संचालनालय, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
सेक्टर–24, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

Email: trti.cg@nic.in
Ph: 0771-2960530, Fax 0771-2960531